कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

पत्रांकः 767 / ओ0एस0डी0 / 2021 दिनांकः 28 नवम्बर, 2021

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या–195 / एक– 11–200–रा0–11 दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 सहपठित उ0प्र0 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड–19 के कारण फैल रही महामारी आपदा घोषित है। इस परिपेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट–1897 की धारा (2), (3), (4) एवं उ0प्र0 महामारी कोविड–19 विनियमावली 2020 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा शासनादेश संख्या–1621 / पॉच–5–2020 दिनांक 06.08.2020 एवं अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के अ0शा0 पत्र संख्या–57 / ए0सी0एस0 / एम0एच0 / 2021, दिनांक 13.03.2021 एवं समय–समय पर भारत सरकार, उ0प्र0 सरकार एवं चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेशों, मेडिकल प्रोटोकॉल एवं गाईडलाइन के क्रम में आज दिनांक 28.11.2021 को चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, लखनऊ पर अपरान्ह 12.00 बजे कोविड–19 के नये वैरिएट Omicron B.1.1.529 की रोकथाम एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहें:–

1. श्री अभिषेक प्रकाश, जिला अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. के0पी0 सिंह, अपर जिलाधिकारी (नगर–पूर्वी), लखनऊ।
4. डा0 मनोज अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
5. डा0 एम0के0 सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रतिरक्षण), लखनऊ।
6. डा0 मिलिन्द वर्द्धन, जिला सर्विलान्स अधिकारी लखनऊ।
7. श्री सतीश यादव, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, लखनऊ।
8. उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ।
9. अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र सरोजनीनगर, लखनऊ।
10. एयरपोर्ट अथार्टी आफ इण्डिया के प्रतिनिधि।
11. श्री सुरेश चन्द्र होता, सी0ई0ओ0, एयरपोर्ट अथॉरिटी, लखनऊ।
12. श्री भूपेन्द्र सिंह, हेड ऑपरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, लखनऊ।
13. सउदी एयरलाईन्स, विस्तारा, गो–एयर, एयर इण्डिया, इण्डिगो, ओमान एयर फ्लाई दुबई, इमीग्रेसन के प्रतिनिधिगण।
14. सी0आई0एस0एफ0 के प्रतिनिधि।
15. ए0पी0एच0ओ0।

सर्वप्रथम बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोविड–19 के नये वैरिएट Omicron B.1.1.529 की रोकथाम एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु संक्रमित देशों से आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं घरेलू उडान के यात्रियों हेतु निम्नानुसार प्रोटोकाल निर्धारित करते हुए उनका पालन कराये जाने के निर्देश दिये गये –

चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने मुख्य रूप से एयर इण्डिया, सउदी एयरलाइन्स, इण्डिगों, गो एयर फ्लाई दुबई, ओमान एयरलाइन्स, स्पाईस जेट और सलाम एयरलाइन्स से आती हैं, जिनमें मुख्यतः दुबई, मस्कट, ओमान, रियाद, जद्दा, दमाम, शारजाह, अबुधाबी और कुवैत से प्रतिदिन लगभग 9 फ्लाईट आती है और एक फ्लाईट में लगभग 200 यात्री सवार होकर आते है, इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से प्रतिदिन लगभग 4500 व्यक्ति लखनऊ में उतरते हैं। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले देश के विभिन्न हवाई अड्डों यथा दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, गोवा, बैंगलोर, जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई और कोचीन से लखनऊ लगभग 25 उड़ाने लगभग आती है जिसमें औसतन प्रति उड़ान 180 व्यक्ति आते हैं इस प्रकार कुल लगभग 4500 व्यक्ति घरेलू उड़ानों से लखनऊ एयरपोर्ट उतरते है जो

लखनऊ या आस–पास चले जाते हैं। उपरोक्त वर्णित कोविड–19 के घातक वेरिएण्ट के प्रसार एवं संक्रमण को प्रभावी तौर पर रोकने हेतु निम्नवत् प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाता है:–

अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल हेतु निर्धारित प्रोटोकाल :–

1. सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग का कार्य एयरपोर्ट अथार्टी एवं सम्बन्धित एयरलाइन्स के द्वारा करायी जायेगी ।
2. सभी यात्रियों का आगमन पर शत–प्रतिशत RT-PCR टेस्ट कराया जाए। जिसमें सभी यात्रियों को कतार में सूचीबद्ध करना एवं एक–एक टेस्टिंग बूथ के पास भेजने की व्यवस्था सी0आई0एस0एफ0 के द्वारा की जायेगी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा निशुल्क टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
3. टेस्टिंग के लिए कुल 10 टीमों का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये जो निम्नानुसार ड्यूटी सम्पादित करेगी।

क्र0स0	समय	टीम की संख्या
1	प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक	04
2	प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक	02
3	सांय 05.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	04

4. टीमों हेतु बैठने की जगह, मेज, कुर्सी इत्यादि की व्यवस्था एयरपोर्ट प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
5. सभी एयरलाइन्स आपरेटर टेस्टिंग में सहयोग प्रदान करेगे तथा यात्रियों के उतरने से पहले अपने यात्रियों को टेस्टिंग के सम्बन्ध में सूचित करेगे जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो सके।
6. सभी यात्रियों के आगमन पर उनका नाम, मोबाइल नम्बर, स्थानीय पता, अन्तिम गनतव्य का पूर्ण पता स्पष्ट रूप से नोट किया जायेगा।
7. सभी यात्रियों की पोर्टल पर इन्ट्री के समय उनका नाम, मोबाइल नम्बर, स्थानीय पता की स्पष्ट इन्ट्री की जायेगी ताकि उन यात्रियो को ट्रैक एवं ट्रेस किया जा सकें। इसके अतिरिक्त केस टाइप में Internationl Traveller का चयन किया जायेगा।
8. RT-PCR टेस्ट कराने के बाद सभी यात्रियों को 08 दिन तक सख्त होम क्वारटीन का पालन करने हेतु अवगत कराया जाए तथा 08वे दिन पुनः आर0टी0पी0सी0आर0 विधि से स्वत : जॉच करानी होगी। होम क्वारंटीन में रह रहे यात्रियों की ICCC द्वारा फोन के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य एवं होम क्वारटीन का फालोअप किया जायेगा।
9. एयरपोर्ट प्रबन्धन द्वारा टेस्टिंग बूथ के पास सभी यात्रियों को हैण्ड आउट दिया जायेगा जिसमें होम क्वारंटीन का पालन करने हेतु निर्देश अंकित होगे। साथ ही प्रचार–प्रसार सामग्री (बैनर, पोस्टर, स्टैण्डी इत्यादि) के माध्यम से भी यात्रियों को अवगत कराने की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया।

डोमेस्टिक टर्मिनल हेतु निर्धारित प्रोटोकाल :–

1. दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, गोवा, जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, कोच्चि एवं बैगलोर से आने वाले यात्री या तो स्वंय अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करके आ रहे होगे अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय यात्री के सम्पर्क में आये होगे। अतः इन सभी नगरो से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी एयरपोर्ट प्रबन्धन एवं सम्बन्धित एयरलाइन्स की होगी। यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से उक्त सुविधा प्रदान कराने में सी0आई0एस0एफ0 एवं क्षेत्रीय पुलिस का सहयोग लिया जायेगा।
2. थर्मल स्कैनिंग में लक्षणयुक्त पाये गये सभी यात्रियों की उसी दिन RT-PCR विधि से जॉच करायी जायेगी।
3. टेस्टिंग टीम, टेस्टिंग किट एवं लाजिस्टिक की व्यवस्था मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा एवं टेस्टिंग टीम के बैठने हेतु स्थान, मेज, कुर्सी इत्यादि की व्यवस्था एयरपोर्ट प्रबन्धन द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
4. एयरपोर्ट प्रबन्धन एवं एयरलाइन्स द्वारा हर 10वें व्यक्ति की (लगभग 10 प्रतिशत घरेलू यात्रियों) की RT-PCR विधि से रैण्डम जॉच करायी जायेगी।

5- सभी यात्रियों की पोर्टल पर इन्ट्री के समय उनका नाम, मोबाइल नम्बर, स्थानीय पता की स्पष्ट इन्ट्री की जायेगी ताकि उन यात्रियो को ट्रैक एवं ट्रेस किया जा सकें। इसके अतिरिक्त केस टाइप में Domestic Traveller का चयन किया जायेगा।

समस्त अर्न्तराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रीगण को कोविड धनात्मक पाये जाने की दशा में नियमानुसार कोविड चिकित्सालय में भर्ती होने/क्वारटाइन अवधि का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इस

सम्बन्ध उन्हें पम्पलेट/निर्देशिका सम्बन्धित एयरलाइन्स द्वारा तत्समय ही उपलब्ध कराकर सूचित किया जायेगा। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू टर्मिनल पर पर्याप्त संख्या में आसानी से दिखने वाले स्थानों पर प्रचार–प्रसार हेतु फ्लैक्सी एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा लगवाई जायेगी।

सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था

एयरपोर्ट पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय एवं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर आवश्यकतानुरूप सी0आई0एस0एफ0 एवं क्षेत्रीय पुलिस बल की तैनाती सुनिचित की जायेगी ताकि अर्न्तराष्ट्रीय एवं घरेलू उड़ानों से लखनऊ उतरने वाले यात्रियों की उपरोक्त वर्णित तरीके से टेस्टिंग, थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जा सके।

टेस्टिंग टीम हेतु वाहन की व्यवस्था

टेस्टिंग टीमों के आवागमन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा कम से कम 3 वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि टेस्टिंग टीमों के लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने में असुविधा न हो।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी प्रकार का शिथिलीकरण अनुमन्य नही होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। जो **महामारी अधिनियम–1897 यथा संशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश–2020, आपदा मोचन अधिनियम–2005** के सुसंगत प्राविधानों एवं **भारतीय दण्ड संहिता–1860 की धारा–188** एवं सुसंगत नियमों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

पत्र संख्या व दिनांक–उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर अवलोकनार्थ–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. पुलिस आयुक्त लखनऊ(नगर), लखनऊ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
4. समस्त अपर जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
6. समस्त उप जिलाधिकारी/अपर नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
7. चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर, एयरपोर्ट अथॉरिटी, लखनऊ।
8. कमाडेण्ट, सी0आई0एस0एफ0, लखनऊ।
9. हेड ऑफ ऑपरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, लखनऊ।
10. सउदी एयरलाईन्स, विस्तारा, गो–एयर, एयर इण्डिया, इण्डिगो, ओमान एयर फ्लाई दुबई, इमीग्रेसन के प्रतिनिधिगण।

जिलाधिकारी,
लखनऊ।